भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1788

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

दोषपूर्ण एक्सप्रेसवे के कारण वाहनों का नुकसान

1788. डॉ. मल्लू रवि:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दोषपूर्ण एक्सप्रेसवे निर्माण के कारण वाहनों को हुए नुकसान की घटनाओं की कोई संपूर्ण जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या नवनिर्मित एक्सप्रेसवे में विशिष्ट तकनीकी खामियों की पहचान की गई है जिनके कारण वाहनों को क्षति पहुंची है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक्सप्रेसवे के गलत निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार के पास एक्सप्रेसवे निर्माण मानकों में सुधार की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एक्सप्रेसवे निर्माण संबंधी खामियों के कारण वाहन मालिकों को हुए नुकसान के संबंध में कोई सूचना मिली है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) राजमार्ग निर्माण के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (एनई) पर वाहन क्षति के मामलों के संबंध में कोई विशेष जांच नहीं की गई है।

(घ) और (ड.) भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) के प्रकाशन आईआरसी एसपी-99: 2023 (एक्सप्रेसवे के लिए विनिर्देशों और मानकों के लिए मैनुअल) को 2023 में अन्य बातों के साथ-साथ इस क्षेत्र में अत्याधुनिक तरीकों को शामिल करके संशोधित किया गया था। एक्सप्रेसवे पर वाहनों को नुकसान मुख्य रूप से वाहनों की तेज गति, थकान और सड़क के किनारे भारी वाहनों की अनधिकृत पार्किंग के कारण होते हैं। तदनुसार, एनएचएआई ने दुर्घटनाओं और वाहनों को नुकसान से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) वाहनों की ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए राज्य पुलिस के साथ निकट समन्वय में एक्सप्रेसवे पर लगाए गए वीएसडीएस (वाहन गति जांच प्रणाली) के माध्यम से ऑनलाइन चालान जारी करना;

(ii) राज्य प्रशासन की मदद से अनधिकृत पार्किंग को हटाना;

(iii) ड्राइवरों की थकान को कम करने के लिए एक्सप्रेसवे पर नियमित अंतराल पर विश्राम क्षेत्र/मार्गस्थ सुविधाओं का प्रावधान;

(iv) सड़क प्रयोक्ताओं को जानकारी प्रदान करने के लिए एक्सप्रेसवे के किनारे पर्याप्त संकेतक का प्रावधान करना;

(v) एक्सप्रेसवे की निगरानी के लिए प्रत्येक किलोमीटर पर ट्रैफिक मॉनिटरिंग कैमरा (टीएमसीएस) का प्रावधान;

(vi) सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा से संबंधित संदेश और अन्य जानकारी प्रदान करने के लिए परिवर्तनशील संदेश संकेतों का प्रावधान;

(vii) सड़क किनारे पार्किंग सहित किसी भी संभावित खतरे को दूर करने के लिए एक्सप्रेसवे की नियमित गश्त;

(viii) दुर्घटना पीड़ितों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए प्रत्येक टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस का प्रावधान।

*****